देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

JAWAB DO SARKAR

www.jawabdosarkar.com

जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

रेफरेंस संख्या –2020/mmp/85 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | रविवार, 20 दिसम्बर 2020

भाग-1

उपायुक्त राम किशोर मीणा बेखबर है या फिर जानबुझ कर अनजान???

आवासीय भूखंड पर बन रहा हलवाई का अवैध व्यवसायिक काम्प्लेक्स!!!

नगर निगम,हेरिटेज ज़ोन में बिना विधिवत सब डिविजन करवाए,आवासीय भूखंड संख्या 753 सिन्धी कॉलोनी राजापार्क ,राजा पार्क पर बिना सेटबैक छोड़े बन रहा क्षेत्र के मशहूर हलवाई का अवैध व्यवसायिक काम्प्लेक्स!!किसकी मजाल जो इसकी एक ईंट भी हिला सके??

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

क्षेत्र के मशहूर हलवाई की बन रही अवैध बिल्डिंग,काला धन खपाने का मास्टर प्लान

यह बिल्डिंग शहर के मशहूर हलवाई अशोक भाटिया की बन रही है,अशोक भाटिया की राजा पार्क में गोपी स्वीट्स के नाम से खाने पीने की दूकान है,अब यह तो आप हो जानते है कि पनीर,घी में कितनी काली कमाई होती है, अब यह महाशय अपने काले धन को सफ़ेद करने के लिए बिल्डर बन गए है और इस भूखंड पर कई मंजिला अवैध व्यवसायिक काम्प्लेक्स बना रहे है|इस अवैध काम्प्लेक्स की आज दुसरे तल की छत भराई जा रही है|

उपायुक्त राम किशोर मीणा का वृहदहस्त अवैध निर्माणकर्ताओं और भूमाफियाओं के साथ

जैसा की हम सबको मालूम है कि आदर्श नगर ज़ोन के उपायुक्त राम किशोर मीणा का वृहदहस्त अवैध निर्माणकर्ताओं और भूमाफियाओं के सर पर है,यही कारण है कि इस ज़ोन में सर्वाधिक अवैध निर्माणों की शिकायतें लंबित है|ज़ोन कार्यालय में सुनवाई नहीं होने के कारण शिकायतें मुख्यमंत्री कार्यालय तक जा चुकी है|परन्तु लगता है कि श्रीमान उपायुक्त महोदय भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टोलरेंस की बात कहने वाले मुख्यमंत्री महोदय से भी आशीर्वाद लेकर आये है|इसी कारण यह बैखौफ होकर अवैध निर्माणों को प्रश्रय दे रहे है|

निर्माणाधीन मकान की छत गिरी, तीन घायल

कानोता@पत्रिका. थाना क्षेत्र के जामडोली इलाके में निर्माणाधीन मकान की छत गिरने से 3 मजदूर घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि भूतल की छत 15 दिन पहले बनी थी। छत की पकाई अच्छे से नहीं होने से पहले ही दूसरी मंजिल का कार्य शुरू कर दिया गया। जिसके चलते नीचे वाली छत भरभराकर गिर गई। उसी दौरान छत के ऊपर कार्य कर रहे मजदूर नीचे गिर गए। 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल मजदूरों को आगरा रोड स्थित एक निजी अस्पताल में में भर्ती कराया।

अवैध निर्माणों में जल्दबाजी से निर्माण करवाने से हो रहे हादसे,जिम्मेदार कौन??

क्या इस अवैध निर्माण को सील करेंगे श्री सुरेश चौधरी?

सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमारे द्वारा इस मामले को ज़ोन उपायुक्त राम किशोर मीणा के निजी संज्ञान में लाने पर जिम्मेदार अधिकारी होने के नाते उनके द्वारा इस अवैध काम्प्लेक्स को सील किया जाएगा या फिर इस शिकायत को भी फाड़ कर रद्दी के टोकरे में फैंक दिया जायेगा *(जैसा की उनकी पुरानी आदत है)*

बात-करामात

अब आप तो जानते ही है कि यदि मिठाई के डिब्बे देने से अवैध बिल्डिंग बन जाती है तो उसमे नुक्सान क्या है?वैसे भी उपायुक्त महोदय को मीठा खाने का बहुत शौक है|लेकिन एक बात और है कि ज्यादा मीठा खाने से कई बीमारियाँ भी लग जाती है|

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान
निदेशालय स्थानीय निकाय, राज0 जयपुर
(जी.3, राजमहल रेजीडेंसी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी–स्कीम जयपुर–302005)
टेलीफैक्स 0141–2222403, ईमेल–stplsg407@rajasthan.gov.inवेब साईट www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः एफ.59.एसटीपी/डीएलबी/सामान्य–आदेश(862)/19/5707 दिनांकः 18.07.19

परिपत्र

राज्य सरकार के स्तर पर यह जानकारी में आया है कि राज्य के स्थानीय निकायों के क्षेत्र में बड़े स्तर पर आवासीय कॉलोनियों में व्यावसायिक निर्माण होने के साथ शून्य सैटबेक में अवैध निर्माण तथा सड़कों पर बड़े स्तर पर अतिक्रमण/अवैध निर्माण किये जा रहे है। जिससे आम नागरिकों को स्वच्छ जीवन यापन के लिए स्वच्छ हवा, स्वच्छ वातावरण, प्रदुषण मुक्त वातावरण, बाधामुक्त आवागमन एवं स्वस्थ स्वास्थ्य आदि में विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, जिससे आमजन को गम्भीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अवैध निर्माण से सुनियोजित विकास में अवरोध उत्पन्न होता हे एवं सरकार द्वारा जारी भवन विनियम औचित्यहीन हो जाते है। स्थानीय निकाय की अकर्मण्यता से नगर में अतिक्रमणों से आम नागरिक आहत महसूस करता है, इससे नागरिकों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित होना पड़ता हैं। स्थानीय निकाय की उदासीनत, कार्यरत कर्मियों/अधिकारियों के कर्तव्यों के पालन में कोताही बरतने से नगरीय निकाय को राजस्व हानि का दोहरा नुकसान उठाना पड़ रहा है, तथा शहर दिन–प्रतिदिन प्रदूषित होता जा रहा है। साथ ही गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा भी उक्त संदर्भ में कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में समस्त स्थानीय निकाय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि अपने क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माण/अतिक्रमणों को काफी गंभीरता से लिया जावे, जिससे बड़े स्तर पर हो रही राजस्व हानि को रोका जा सकें, साथ ही माननीय न्यायालय के निर्देशों की पालना की जा सकें। यह भी सुनिश्चित किया जावे कि समस्त निकाय क्षेत्र में कोई भी किसी प्रकार का बिना स्वीकृति निर्माण कार्य नहीं होने दें, तथा अवैध निर्माण पर प्रभावी तरीके से अंकुश लगाया जावे, बिना स्वीकृति किये जा रहे अवैध निर्माणों को तुरन्त प्रभाव से रोका जाकर उचित कार्यवाही करें। साथ ही यह सुनिश्चिता की जावें कि उक्त संबंध में लापरवाही करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी।

18/7/19
(भवानी सिंह देथा)
शासन सचिव

क्रमांकः एफ.59.एसटीपी/डीएलबी/सामान्य–आदेश(862)/19/5708–5716 दिनांकः 18.07.19

प्रतिलिपी निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, मा. मंत्री महोदय, नगरीय विकास, स्वायत शासन एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, जयपुर
3. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान
5. आयुक्त, नगर निगम जयपुर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/उदयपुर/भरतपुर।
6. क्षैत्रीय उपनिदेशक, स्थानीय निकाय विभाग जयपुर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/उदयपुर/
7. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर परिषद/पालिका, समस्त।
8. CMAR को प्रति प्रेषित कर लेख है कि अधिसूचना को CMAR की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
9. System analyst cum Joint Director, DLB को प्रति प्रेषित कर लेख है कि आदेश को स्वायत्त शासन विभागकी वेबसाईट पर अपलोड करावें।

18/7/19
(उज्ज्वल राठौड़)
निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

अवैध निर्माणों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु राज्य सरकार द्वारा पारित आदेश| परन्तु इसके बावजूद सुरेश चौधरी के ज़ोन में अवैध निर्माणों की बाढ़

प्रथम सुचना रिपोर्ट

1.	भूखंडो का पता	आवासीय भूखंड संख्या 753 सिन्धी कॉलोनी राजापार्क जयपुर
2.	उल्लंघन की संभावित प्रकृति	बिना पुनर्विभाजन,बिना अनुमति,बिना नक़्शे पास करवाए बिना भवन विनियमों की पालना करवाए(बिना पार्किंग और बिना सैटबैक छोड़े) ,अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग का निर्माण
3.	बिल्डर/सम्बंधित फार्म	श्री अशोक भाटिया
4.	सम्बंधित ज़ोन	नगर निगम हेरिटेज(जयपुर) आदर्श नगर ज़ोन
5.	कार्यवाही हेतु सक्षम अधिकारी	ज़ोन उपायुक्त श्री राम किशोर मीणा और सतर्कता अधिकारी श्री राजेश यादव
6.	सक्षम अधिकारी को शिकायत प्रेक्षण दिनांक	19/12/2020

जवाब मांगते सवाल?

1. क्या भवन मालिक द्वारा इस भूखंड का सक्षम स्तर से पुनर्विभाजन करवा लिया गया है?
2. क्या भवन मालिक द्वारा इस बिल्डिंग का सक्षम स्तर से मानचित्र अनुमोदित करवा कर निर्माण करवाया गया है?
3. क्या भवन मालिक द्वारा भवन विनियमों के अनुसार सैटबैक मापदंडों का पालन किया जा रहा है?
4. क्या भवन मालिक द्वारा भूखंड की एक मुश्त/वार्षिक लीज मनी जमा करवा दी गयी है?
5. क्या भवन मालिक द्वारा भूखंड का यू.डी. टेक्स जमा करवा दिया गया है?
6. यह मामला हमारे द्वारा नगर निगम के आला अधिकारियों के संज्ञान में लाने के बावजूद यदि कोई कार्यवाही नहीं होती है और बिल्डिंग के अवैध निर्माण को आंच नहीं आती तो क्या निगम के जिम्मेदार अधिकारियों का यह आचरण भ्रष्टाचार की श्रेणी में नहीं आता है?
7. क्या नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट पिटीशन 1554/2004 गुलाब कोठारी बनाम राजस्थान सरकार; में दिए गए आदेशों की अवमानना के दोषी नहीं है?
8. क्या इस अवैध निर्माण के विरुद्ध आज दिनांक तक कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है?क्यों उन शिकायतों पर आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी?
9. आदर्श नगर ज़ोन का चार्ज लेने के बाद उपायुक्त राम किशोर मीणा के पास कितनी अवैध निर्माणों/अतिक्रमणों से सम्बंधित शिकायते प्राप्त हुई?उनके द्वारा कितने अवैध निर्माणों/अतिक्रमणों पर कार्यवाही की गयी?उनके द्वारा कितने अवैध निर्माणों/अतिक्रमणों को महज कार्यवाही का डर दिखाकर छोड़ दिया गया?

अवैध निर्माण नहीं रोकना भी भ्रष्टाचार

उच्च न्यायालय ने दिखाई सख्ती

जयपुर @ पत्रिका . अवैध निर्माण सहित अन्य अवैध गतिविधियां नहीं रोकने वाले लोकसेवकों पर भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत कार्रवाई का रास्ता खुल गया है। हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण सहित अन्य अवैध गतिविधियों पर सख्ती दिखाते हुए सोमवार को भ्रष्टाचार निरोधक कानून के दायरे के बारे में जानकारी के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिरीक्षक दिनेश एमएन को तलब किया। कोर्ट ने 20 अप्रेल को जयपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त, नगर निगम आयुक्त को तलब किया है।

जज महेश चन्द्र शर्मा ने मोहनलाल नामा की अवमानना याचिका पर यह आदेश दिया। हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण मामले में 22 जनवरी 2015 को अभ्यावेदन देने का आदेश दिया था। इस पर कार्रवाई न होने पर यह याचिका दायर की है। प्रार्थीपक्ष की ओर से अधिवक्ता विमल चौधरी ने कोर्ट को बताया कि जयपुर शहर में अवैध निर्माण व कब्जे हो रहे हैं। कोर्ट के आदेशों की अवमानना हो रही है। अवैध निर्माण व कब्जों को रोकने के लिए राज्य सरकार ने अधिकारियों को क्षेत्रवार जिम्मेदारी दी है। कोर्ट ने इस पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि इन अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है या नहीं? जवाब के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिरीक्षक दिनेश एम एन को तलब किया। उन्होंने दायित्व के प्रति अनदेखी को भी भ्रष्टाचार की श्रेणी में माना।

कार्रवाई संभव

अतिरिक्त महाधिवक्ता जी एस गिल ने कहा कि अवैध निर्माण या अवैध गतिविधियां रोकने के लिए जिम्मेदार अधिकारी या कर्मचारी जानबूझकर कार्रवाई न करे या अनदेखी करे तो उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है। इसके लिए प्रक्रिया अपनानी होगी। गिल के आग्रह पर कोर्ट ने आदेश दिया कि मामले में कोई आदेश जारी करने से पहले जयपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त व जयपुर नगर निगम आयुक्त से जवाब तलब किया जाए।

सुनवाई 20 को

कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कोई भी अधिवक्ता पक्ष रखना चाहे तो वह सुनवाई के दौरान पक्ष रखने को स्वतंत्र होगा। मामले की सुनवाई अब 20 अप्रेल को सुबह 11 बजे होगी।